न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 101/2012 & GCMS NO. 2021/223

दायर दिनांक–15.05.2012

1/1 छोटी देवी पत्नी बनवारी
1/2 निवास पुत्र बनवारी
1/3 सुमन पुत्री बनवारी
1/4 सुशीला पुत्र बनवारी
1/5 मंगली पुत्री बनवारी
जाति गुर्जर निवासीगण ढाणी मेदसिंह वाली तन देवीपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. छोटी देवी बेवा भेभाराम
3. रामेश्वर पुत्र भेभाराम
4. विनोद पुत्र भेभाराम
5. धोली पुत्री भेभराम उम्र 14 वर्ष नाबालिग कुदरतीवली माता छोटी देवी।
6/1 राजदेवी पत्नी सुमेर
6/2 सुभिता पुत्री सुमेर उम्र 14 वर्ष
6/3 सुरेश पुत्र सुमेर उम्र 11 वर्ष
6/4 छोटी पुत्री सुमेर उम्र 6 वर्ष
नाबालिग जरिये कुदरती संरक्षिका माता राजदेवी पत्नी सुमेर जाति गुर्जर निवासीगण ढाणी मेदसिंह वाली तन देवीपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
7. सायर पुत्र भींवाराम
8. कैलाश पुत्र भींवाराम
जाति गुर्जर निवासीगण ढाणी मेदसिंह वाली तन देवीपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–वादी

बनाम

1/1 बन्नाराम पुत्र फूलिया
1/2 सोहन पुत्र फूलिया
1/3 श्योलाल पुत्र फूलिया
1/4 तारूराम पुत्र रामेश्वर पौत्र फूलिया
1/5 रामपाल पुत्र रामेश्वर पौत्र फूलिया
1/6 महेन्द्र पुत्र रामेश्वर पौत्र फूलिया
1/7 पूर्णमल पुत्र बागाराम पौत्र फूलिया
1/8 किशोर पुत्र बागाराम पौत्र फूलिया
1/9 नरेश पुत्र बागाराम पौत्र फूलिया
1/10 मोहनी देवी स्त्री बागाराम पुत्रवधु फूलिया
जाति गुर्जर निवासीगण चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2/1 रूडाराम पुत्र रामचन्द्र
2/2 अणची देवी स्त्री रामचन्द्र
जाति गुर्जर निवासीगण चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. सुगन सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति [illegible] निवासी [illegible] जिला झुन्झुनू राज.।
4. राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:00:19 IST
Reason: SelfAttested

–प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री अमर सिंह शेखावत
वकील प्रति. नं. : – श्री किशोर कुमार जांगिड़

दावा : घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

—:: निर्णय ::—

दिनांक— 27—12—2022

वादी द्वारा वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम चिराा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1860, 1861 रकबा क्रमशः 1.10, 0.85 हैक्टर जिसके गत खसरा नम्बर 1117 है, वादीगण की 1/2 की खतेदारी काश्तकारी की भूमि है तथा प्रतिवादी नम्बर 03 की 1/2 की खातेदारी की भूमि है, प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का कभी उक्त भूमि से संबंध नही रहा हैं।

यह है कि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 लादू पुत्र भींवा के कभी वारिसान ही नही रहे, ना ही इनकाकोई संबंध था, वादीगण के पूर्वज थे, वादीगण के हक हकूक अधिकारों की भूमि थी, प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पिता फूलिया का लादू पुत्र भींवा के वारिस न होने के बावजूद वादीगण की हक अधिकारी की भूमि को हडपने की गरज से लादू पुत्र भींवा की मृत्यु के बाद तत्कालीन सरपंच पटवारी हल्का से साज कर फर्जी लड़के बनकर नामान्तकरण संख्या 320 दिनांक 29.05.1968 को अपने नाम से भरवा लिया, उसके बाद फर्जी नामान्तकरण के आधार पर गलत राजस्व रिकार्ड बन गया, जो वादीगण के अधिकारों के खिलाफ शून्य व अवैध है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को उक्त गलत नामान्तकरण के आधार पर कोई अधिकार पैदा नही होता ना ही वादीगण के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर पड़ता परन्तु गलत राजस्व रिकार्ड के रहने से वादीगण को सख्त हकतलफी पैदा होती है, साथ — साथ अपने हक अधिकारों से वंचित होना पड़ सकता है।

प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पिता का नाम लादू है, जबकि लादू पुत्र भींवा अलग है, वादीगण के पिता मांगिया पुत्र लादू कई जगह दर्ज है, कई जगह पर लादू पुत्र भींवा दर्ज है, जबकि यह एक व्यक्ति है, प्रतिवादी मिलते—जुलते नाम का फायदा उठाने के लिये फर्जी तरीके से वारिस बन गये, जबकि इनका उक्त सम्पति व भूमि से कोई संबंध नही है। प्रतिवादी नम्बर 1 काफी चतुर चालाक व्यक्ति है, वादीगण के पिता ने जरिये विक्रय पत्र के 9 बीघा खाम विक्रय की थी, परन्तु सरपंच पटवारी से साज कर वादीगण 1/3 सम्पूर्ण हिस्सा हड़पने के लिये नामान्तकरण संख्या 304 व 717 गलत रूप से दर्ज करवा लिया, जिसका वाद न्यायालय में विचाराधीन है, उस वक्त के सरपंच गुमानसिह से प्रतिवादी नम्बर 1 की मिलीभगत होने से उक्त भूमि का नामान्तकरण गलत दर्ज करवाकर वादीगण की भूमि को हड़पने की कार्यवाही की है। उक्त गलत नामान्तकरण प्रतिवदी नम्बर 1 व 2 को कोई अधिकार पैदा नही होता है, इसके बाद बना राजस्व रिकार्ड भी वादीगण के अधिकारों के प्रतिकूल होने से अवैध व शून्य है।

प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की नियत में खोट आ गया है और वादीगण का गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में वैध अधिकारो से वंचित करने के लिये दिनांक 20.03.2012 को धमकी इस आशय की दी कि राजस्व रिकार्ड हमारे नाम से है वर्णित भूमि को विक्रय कर बेदखल करूंगा इसलिए वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की नियत में फर्क आ गया और वादीगण की किसी भी क्षण वैध अधिकारों से वंचित करने पर आमादा है। अगर अपनी नाजायज मंशा में सफल हो गये तो वादीगण अपने अधिकारो से वंचित हो जावेगे, वादीगण का वाद करना व्यर्थ हो जावेगा। व्यर्थ की मुकदमें बाजी में फंसना होगा, जिससे अपूणरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी तरह से संभव नही होगी, मानसिंक पीड़ा अलग से भुगतनी पड़ेगी, इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि को न तो स्वयं खुर्द—बुर्द करे, ना ही अन्य किसी से करावे, ना ही कब्जे काश्त, उपयोग—उपभोग में बाधा डाले, ना ही अन्य किसी से डलवाये, वादग्रस्त भूमि का रिकार्ड यथावत बनाये रखे।

वादीगण द्वारा वाद—पत्र में अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि वाद वादीगण बहक खिलाफ प्रतिवादीगण इस उमर की घोषणा की डिक्री फरमाई … के ग्राम चिराना की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1860 रकबा 1.10 हैक्टर व खसरा नम्बर [illegible] रकबा [illegible] हैक्टर कुल तादादी 1.95 हैक्टर में वादीगण को 1/2 हिस्सा का [illegible] … तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 03 का यथावत रखा जावे। … आशय का आदेश दिया जावे कि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर आवश्यक दुरूस्त किया जा…

स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि को न तो स्वयं खुर्द—बुर्द करे, नपा ही अन्य किसी से ऐसा करावे, मौका रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अन्य सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो और वादीगण के हक में पड़ती हो वह भी दिलवाई जावे।

वादीगण द्वारा वाद—पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 2/2 की ओर से वकील श्री किशोर कुमार

ए.सी.जे.एम. (फा.ट्रे.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:00:19 IST
Reason: SelfAttested

जागिड़ ने अपना वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की सम्यक रूप से तलबी होने के फलस्वरूप इनके ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नही होने पर प्रतिवादी नम्बर 04 की दिनांक 28.05.2012 व प्रतिवादी संख्या 03 की दिनांक 20.06.2012 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब दावा पेश किया कि ग्राम चिराना की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1860 रकबा 1.10 हैक्टर व खसरा नम्बर 1861 रकबा 0.85 हैक्टर होना अस्वीकार है पुराने खसरा नम्बर 1117 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा भूमि ग्राम चिराना की थी, जिसके पैमाईश के पश्चात खसरा नम्बर 1860 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 1861 रकबा 0.85 हैक्टर बने तथा इसके पश्चात नए खसरा नम्बर 58 रकबा 1.10 हैक्टर खसरा नम्बर 59 रकबा 0.85 हैक्टर बने है, जो ग्राम बागोरियों की ढाणी में स्थित है। उक्त भूमि से वादीगण का कोई संबंध सरोकार कभी नही रहा है, तथा ना ही आज है। उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 2/1 व 2/2 का है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 3 का है।

वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित तथ्य सरासर गलत होने से अस्वीकार है। जवाब देहन्दा प्रतिवादी नम्बर 1 फूलचन्द उर्फ फूला व प्रतिवादी नम्बर 2/1, 2/2 के पिता रामचन्द्र लादूराम के ही वारीसान थे। वादीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार कभी नही रहा है तथा ना ही आज है। राजस्व रिकार्ड बिल्कुल सही बना है। वादीगण को वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कोई हक अधिकार कभी नही रहे है, तथा ना ही आज है। वादग्रस्त भूमि जवाबदेहन्दागण के हक अधिकारों कब्जे काश्त की भूमि हमेशा से रही है, तथा आज भी है वादग्रस्त भूमि पूर्व में जवाबदेहन्दागण के पूर्वज लादूराम कास्त करते थे, तथा लादूराम के फौत होने के पश्चात उनके वारीस फुलाराम व रामचन्द्र काश्त करते थे, इसके पश्चात फुलाराम ने अपने हिस्से की भूमि का रामचन्द्र को दे दी। रामचन्द्र फौत हो गये है। रामचन्द्र के फौत होने के पश्चात उनके वारीस प्रतिवादी नम्बर 2/1 व 2/2 है इस प्रकार वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 2/1 तथा प्रतिवादी नम्बर 2/2 का है जो पूर्व में उनके पूर्वज लादूराम का था तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 3 का है इसी अनुसार रिकार्ड बना हुआ है। परन्तु वादीगण द्वारा उक्त झूंठा व मनघड़ंत वाद द्वेषतावश किया है, जो खारिज होने योग्य है।

वाद पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज तथ्य झूंठे अनावश्यक व निरर्थक दर्ज किय गए है, जो अस्वीकार है। वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में 1/2 हिस्सा मांगू पुत्र पोखर का पूर्व में था तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 2/2 के पूर्वज लादू का था। उक्त 1/2 हिस्सा मांगू पुत्र पोखर ने अपने 1/2 हिस्से को प्रतिवादी नम्बर 3 को दे दिया तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 2/1 व 2/2 का है। इसी प्रकार हमेशा से रिकार्ड रहा है। जवाबदेहन्दागण किसी भी फर्जी वारिस नही बने है, बल्कि वादीगण ने दुर्मशा वश उक्त दावा पेश किया है। 9 बीघा जमीन विक्रय करने व वाद विचाराधीन होने से उक्त वाद का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है कोई गलत नामान्तंकरण जवाबदेहन्दागण द्वारा नही भरवाया गया है। जवाबदेहन्दागण की हक अधिकारों की भूमि का राजस्व रिकार्ड सही बना हुआ है जिससे वादीगण को कोई लेना–देना नही है।

जवाब देहन्दागण की नियत में कोई फर्क नही आया है। जवाबदेहन्दागण वादीगण के किसी प्रकार के कोई वैध अधिकारों से वंचित नही करना चाहते है ना ही किसी प्रकार की नाजायज मंशा जवाबदेहन्दागण की है, वादग्रस्त भूमि से वादीगण को कोई लेना देना नही है वादीगण को किसी प्रकार की कोई मुकदमेबाजी में फसने की संभावना नही है। जवाबदेहन्दागण को अपने हक अधिकारों राजस्व रिकार्ड में खातेदारी की भूमि से सम्बन्धित सभी हक अधिकार प्राप्त है। वादीगण को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति होने की संम्भावना नही है। जवाबदेहन्दागण को किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। अतः वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

जवाब देही प्रस्तुत होने पर प्रकरण [illegible] की गई :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:00:19 IST
Reason: SelfAttested

1. तनकी नम्बर 01 :– आया विवादित भूमि में वादीग[illegible] तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 की 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है।

भा.स.वादीगण

2. तनकी नम्बर 02 :– आया प्रतिवादीगण 1 व 2 लादू पुत्र [illegible] के कभी वारिसान ही नही रहे।

भा.स.वादीगण

3. तनकी नम्बर 03 :– आया विवादित आराजी में प्रतिवादी नम्बर 03 सह–खातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है, उनका 1/2 हिस्सा यथावत रखा जावे।

भा.स.वादीगण

4. तनकी नम्बर 04 :– आया विवादित भूमि से वादीगण का कोई सम्बन्ध नही है।

भा.स.प्रतिवादी

5. तनकी नम्बर 05 :– आया विवादित आरी में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 2/1 व प्रतिवादी नम्बर 2/2 का है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 03 का है।

भा.स.प्रतिवादी

6. आया विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड सही बना हुआ है।

भा.स.प्रतिवादी

तनकीयात कायम होने शहादत ली गई। शहादत वादी में वादी स्वयं बनवारी लाल एसं गवाह ताराचंद उपस्थित होकर अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किया तथा गवाहान को परीक्षित करवाया गया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2058 आधार वर्ष प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985 प्रदर्श–2, नकल नामान्तकरण संख्या 320 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2012 से 2015 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2016 से 2019 तक प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी सम्वत् 2020 से 2023 तक प्रदर्श–6, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2024 से 2027 तक प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी सम्वत् 2029 से 2032 तक प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी सम्वत् 2047 से 2050 तक प्रदर्श–9, नकल जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 प्रदर्श–10 आदि प्रस्तुत किये।

शहादत प्रतिवादी में गवाहान बनवारी पुत्र श्री फुलीया उर्फ फूलचन्द, सोहनलाल पुत्र श्री फुलीया उर्फ फूलचन्द, शिवलाल पुत्र फुलीया उर्फ फूलचन्द, रूड़ाराम पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर, बनवारी पुत्र श्री गीदाराम, गिरधारी उर्फ गीदा पुत्र श्री मांगूराम, सुगनसिंह पुत्र भंवर सिंह उपस्थित होकर अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किया तथा अपने जबाब के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेजात नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2058 आधार वर्ष प्रदर्श डी–1, नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत् आधार वर्ष 1985 प्रदर्श डी–2, नकल नामान्तकरण संख्या 320 प्रदर्श डी–3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2012 से 2015 तक प्रदर्श डी–4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2016 से 2019 तक प्रदर्श डी–5, नकल जमाबंदी सम्वत् 2020 से 2023 तक प्रदर्श डी–6, नकल जमाबंदी सम्वत् 2024 से 2027 तक प्रदर्श डी–7, नकल जमाबंदी सम्वत् 2029 से 2032 तक प्रदर्श डी–8, नकल जमाबंदी सम्वत् 2050 प्रदर्श डी–8, नकल जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 प्रदर्श डी–9 आदि प्रदर्शित करवाये गये ।

शहादत प्रस्तुत होने पर बहस अंतिम वकील उभय पक्ष बगौर सुनी गई। दौरान बहस वादी अधिवक्ता ने वाद–पत्र के तथ्यो एवं प्रतिवादी अधिवक्ता ने जवाब दावा के तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया तथा पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व बहस पर मनन करते हुये निर्णय तनकीवार निम्नानुसार :–

1. तनकी नम्बर 01 :– आया विवादित भूमि में वादीगण की 1/2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 की 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है।

भा.स.वादीगण

2. तनकी नम्बर 02 :– आया प्रतिवादीगण 1 व 2 लादू पुत्र भींवा के कभी वारिसान ही नही रहे।

भा.स.वादीगण

3. तनकी नम्बर 04 :– आया विवादित भूमि से वादीगण का कोई सम्बन्ध नही है।

भा.स.प्रतिवादी

4. तनकी नम्बर 05 :– आया विवादित आरी में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 2/1 व प्रतिवादी नम्बर 2/2 का है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 03 का है।

भा.स.प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:00:19 IST
Reason: SelfAttested

5. तनकी नम्बर 06 :– आया विवादित भूमि का राजस्व [illegible] बना हुआ है।

भा.स.प्रतिवादी

तनकी नम्बर 1, 2, 4, 5 व 6 उक्त पांचों तनकियात एक [illegible] है, इसलिए पांचों तनकीयात का एक साथ विवेचन किया जा रहा है :– यह है कि तनकी नम्बर 1 व 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है तथा तनकी नम्बर 4, 5 व 6 को साबि[illegible]रने का भार प्रतिवादीगण पर है। उक्त संबंध में वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया तथा वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात् नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2058 आधार वर्ष प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985 प्रदर्श–2, नकल नामान्तकरण संख्या 320 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सम्वत् 2012 से 2015 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सम्वत् 2016 से 2019 तक प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी सम्वत् 2020 से 2023 तक प्रदर्श–6, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2024 से 2027 तक प्रदर्श–7,

नकल जमाबंदी सम्वत् 2029 से 2032 तक प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी सम्वत् 2047 से 2050 तक प्रदर्श–9, नकल जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 प्रदर्श–10 प्रस्तुत किये गये है जिनका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात के देखने व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को देखने से पता चलता है कि दोनो पक्षकारों द्वारा नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2058 आधार वर्ष, नकल मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985, नकल नामान्तकरण संख्या 320, नकल जमाबंदी सम्वत् 2012 से 2015, नकल जमाबंदी सम्वत् 2016 से 2019 तक –7, नकल जमाबंदी सम्वत् 2029 से 2032 तक, नकल जमाबंदी सम्वत् 2047 से 2050 तक, नकल जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 प्रस्तुत की गई है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में वादी बनवारी स्वयं को तथा गवाह ताराचन्द को परिक्षित करवाया गया है।

वादीगण को मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये यह साबित करना था कि वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा वादीगण का है जो गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज हो गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत् 2012 से 2015 जो कि प्रदर्श–4 में भूमि पुराने खसरा नम्बर 1117 रकबा 7 बीघा 14 बिश्वा का खातेदार मांगू पुत्र पोखर हिस्सा 1/2 व लादू पुत्र भींवा हिस्सा 1/2 कौम गुर्जर दर्ज है जो सम्वत् 2023 तक इसी तरह से दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है। सम्वत् 2024 से 2027 की जमाबंदी में मांगू पुत्र पोखर हिस्सा 1/2 व फूला, रामचन्द्र पिता लादू कौम गुर्जर दर्ज हुआ है। वादीगण द्वारा मुख्य रूप से इसी रिकार्ड में परिवर्तन को गलत माना है। तथा लादू के वारिस वादीगण स्वयं को बताते हुए 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित करने की मांग कर रहे है। परन्तु वादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया कि जिसमें उनके पूर्वज़ का नाम लादू पुत्र भींवा हो। वादी स्वयं बनवारी के मौखिक साक्ष्य में जिरह में कथन किया गया है कि ''शपथ पत्र में क्या लिखा है मुझे पता नही। शपथ पत्र में जो लिखा है वह मुझे पढकर नही सुनाया गया। खसरा नम्बर का मुझे पता नही है। फूला व रामचन्द्र के पिता का नाम लादू है। लादू कब खत्म हुआ पता नही। लादू के मरने के बाद यह जमीन फूला व रामचन्द्र के नाम हो गई। फूला व रामचन्द्र लादू की जमीन को काश्त करते है। रामचन्द्र फौत हो चुका है। अब यह जमीन रामचन्द्र का बेटा रूड़ा काश्त करता है। वर्तमान में रिकार्ड इन्ही के नाम से है। '' इसी प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य ताराचंन्द ने भी फुला व रामचन्द्र के पिता का नाम लादूराम होना माना है। ताराचन्द कथन कर रहा है कि ''जमीन हमारी है दावा हमने नही किया है। बनवारी वगैरह हमारे रिश्ते में काका लगते है।'' वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात नामान्तरकरण संख्या 320 प्रदर्श–डी–3 में लादू पुत्र भींवा हिस्सा 1/2 के स्थान पर फूला रामचन्द्र पिता लादू गुर्जर हिस्सा 1/2 दर्ज किया गया है जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने पदीय हैसियत में सम्यक जांच करके दर्ज किया है जिसके विरूद्ध खण्डन हेतु कोई साक्ष्य वादी द्वारा प्रस्तुत नही की गई है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन का समर्थन करती है। इस प्रकार समस्त दस्तावेजी साक्ष्यो से वादीगण उपरोक्त विवाधक संख्या 1 व 2 अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है तथा प्रतिवादीगण विवाधक संख्या 4, 5 व 6 को साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है। इस प्रकार विवाधक संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्ध एंव विवाधक संख्या 04, 05 व 06 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किए जाते है।

6. तनकी नम्बर 03 :– आया विवादित आराजी में प्रतिवादी नम्बर 03 सह–खातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है, उनका 1/2 हिस्सा यथावत रखा जावे।

भा.स.वादीगण

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। पूर्ण विवेचना तनकी नम्बर 1, 2, 4, 5, व 6 में पूर्ण रूप की जा चुकी है। विवादित आराजी में प्रतिवादी नम्बर 03 सह–काश्तकार है। प्रतिवादी नम्बर 03 का हिस्सा 1/2 होना प्रतिवादीगण एवं वादीगण ने स्वीकार किया है इसलिए उक्त तनकी बाबत कोई विवाद नही है, इसलिए उक्त तनकी को प्रतिवादी नम्बर 03 का हिस्सा 1/2 की सीमा तक साबित करने की आवश्यकता नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:00:19 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादीगण अपने वाद को साबित करने में असफल रहे है। फलस्वरूप वाद वादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुंझुंनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) नवलगढ

दावा बाबत :– घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 101/2012 & GCMS NO. 2021/223

(बनवारी आदि बनाम फूलिया आदि)

पर्चा–डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 27–12–2022 निर्णय अनुसार वाद वादीगण साबित नही पाये जाने पर पाये जाने पर वाद वादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 27.12.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:00:19 IST
Reason: SelfAttested